## विचार बिन्दु

**जो मनुष्य एक पाठशाला खोलता है वह एक जेलखाना बंद करता है। –अज्ञात**

# स्कूलों की दशा और दिशा बदलने का रोडमैप

राजस्थान सरकार ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला करते हुए 12500 करोड़ रु. का रोडमैप तैयार किया है। हांलाकि इसे सीजीपी की रामपुरा गांव की घटना से जोड़ कर देखा जा रहा है पर सौ टके का सवाल यह है कि स्कूल भवनों की यह अवस्था क्या वर्तमान सरकार की देन है? क्या दो साल में ही स्कूल भवन जर्जर और सुविधाविहीन हो गए? क्या स्कूलों की इन हालातों के लिए केवल वर्तमान सरकार को जिम्मेदार मानना उचित होगा? सवाल तो यह भी उठता है कि आज रोटियां सैंकने वालों ने समय रहते अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं समझी? सवाल यह भी उठता है कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है पर कानून हाथ में लेना या माहौल को उत्तेजित करना कहां तक उचित कहा जा सकता है? यदि सीमाओं में रहकर विरोध किया जाता है तो उसका असर भी अधिक पड़ता है और जनमानस की ऐसे विरोध के प्रति सहानुभूति भी होती है। जयपुर के रामपुर की घटना के पक्ष विपक्ष में ना जाकर यह कहना ही पर्याप्त होगा कि हालातों के लिए सरकार पर आक्रामक होना या लोगों को उत्तेजित करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी का त्यागपत्र मांगना भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यदि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो हमें लोकतांत्रिक तरीके से ही समस्याओं का समाधान मांगना या खोजना चाहिए। यह बात देश के प्रत्येक सभ्य नागरिक को समझनी होगी।

राज्य में एक मोटे अनुमान के अनुसार 64 हजार से अधिक स्कूल है और इनमें से करीब 63800 से अधिक विद्यालय अपने स्वयं के भवन में संचालित हो रहे हैं। 600 स्कूल के आसपास ऐसे स्कूल है जिनके अपने भवन नहीं हैं। शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और विद्यालय भवनों की हालात अच्छी भी होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। पिछले साल एक स्कूल के कमरे के गिर जाने से बच्चों की मौत के बाद से जर्जर स्कूलों की दशा सुधारने की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। सरकार की हालात के प्रति गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि 12500 करोड़ रुपए व्यय कर स्कूलों की दशा सुधारने का रोडमैप सामने आ गया है। हमें यह कोई एक दिन का काम नहीं है। सरकार स्कूल परिसरों के हालात को लेकर गंभीर रही है उसी का परिणाम है कि पूरा रोडमैप तैयार होकर सामने आया है। ऐसे में इसे सीजीपी या किसी आंदोलन के परिणाम के रुप में देखा जाना गलत होगा क्योंकि दो दिन में कोई रोडमैप तैयार नहीं होता। यह भी समझना होगा कि 41 जिलों के 63 हजार से अधिक विद्यालयों की हालात की जानकारी जुटाना और उनमें क्या कार्य होना है इसका आकलन करना कोई एक दिन का काम नहीं है। इकसे अलावा इस पर होने वाले व्यय का आकलन और होने वाले व्यय की राशि जुटाने की संभावनाओं को तलाशना कोई बच्चों का खेल नहीं हो सकता। यह भी साफ हो जना चाहिए कि सरकार अपने स्तर पर प्रशासन से समन्वय बनाते हुए पूरा रोडमैप बनाने में जुटी होने का ही परिणाम है कि एक ठोस कार्ययोजना सामने आ सकी। आलोचना के स्थान पर सरकार का साधुवाद किया जाना चाहिए।

**कार्य गुणवत्तापूर्ण हो और बेहतर सुविधाजनक हो ताकि स्कूलों की दशा सुधर सके, बेहतर शिक्षण माहौल बन सके, बच्चे सुरक्षित रहे और आवश्यक सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, विद्युत, इंटरनेट आदि की सुविधाएं हो। यदि स्थानीय नागरिक, प्रशासन और स्कूल प्रशासन को अपने दायित्व के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। सरकार ने विधायक कोष से 20 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने का निर्णय भी विद्यालयों की दशा और दिशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।**

निश्चित रुप से जर्जर भवनों में स्कूल संचालन गंभीर और शिक्षा महकमें के लिए सोचनीय होना चाहिए। क्योंकि यहां सीधे सीधे बच्चों की सुरक्षा का सवाल उठता है और कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि उनके कार्यकाल में दुर्घटना जैसी घटना हो। यदि स्थानीय और जिला स्तर पर समय पर आकलन होता रहता तो एक संभावना यह भी बन सकती है कि एकसाथ हालात इतने खराब नहीं हो पाते। ऐसी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर समाधान खोजा जाता है। यहां सवाल यह भी उठता है कि विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक, सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि व स्थानीय स्तर पर हम कितने सजग व सक्रिय है। यदि स्थानीय स्तर पर सजगता हो तो अति जर्जर स्कूल भवनों की दशा को भामाशाहों या किसी भी सरकारी योजना में ठीक करवाया जा सकता है। जिला स्तर पर बहुत से फण्ड होते हैं, विधायक कोष, डीएमएफटी, सीएसआर और इसी तरह के बहुत से कोष में उपलब्ध राशि का उपयोग कर समस्या का तात्कालिक हल तो कराया ही जा सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ ही स्कूल प्रिंसिपल सहित अध्यापकों और क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों की भी जिम्मेदारी हो सकती है। जर्जर भवन को दुबारा बनाने या मरम्मत के प्रस्ताव समय पर तैयार होते हैं तो कोई भी सरकार हो वह बजट स्वीकृत करने में आनाकानी नहीं करती। राजस्थान तो वैसे भी भामाशाहों का प्रदेश है ऐसे में भामाशाह आगे आकर सहयोग को तैयार रहते हैं। आवश्यकता सही पहल की हो जाती है। खैर यहां किसी को भी आरोपित करने या क्लिनचीट देने का मकसद नहीं हैं। सवाल देर से निर्णय को लेकर भी नहीं है। सीधा सा सवाल यह है कि यह बच्चों के भविष्य और सुरक्षा से जुड़ा सवाल है तो ऐसे में अब सरकार ने दो साल में विद्यालयों की दशा और दिशा सुधारने का जो रोडमैप तैयार किया है उसके क्रियान्वयन को लेकर उठता है। अब जब सरकार ने रोडमैप बना कर क्रियान्वयन के कदम बढ़ा दिए हैं तो सवाल गुणवत्ता और समय पर क्रियान्वयन का उठता है। स्कूल प्रशासन और स्थानीय प्रबुद्धजनों और नागरिकों का दायित्व अधिक हो जाता है। वे जब भी उनके क्षेत्र में कार्य आरंभ हो तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दें। कार्य गुणवत्तापूर्ण हो और बेहतर सुविधाजनक हो ताकि स्कूलों की दशा सुधर सके, बेहतर शिक्षण माहौल बन सके, बच्चे सुरक्षित रहे और आवश्यक सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, विद्युत, इंटरनेट आदि की सुविधाएं हो। यदि स्थानीय नागरिक, प्रशासन और स्कूल प्रशासन को अपने दायित्व के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। सरकार ने विधायक कोष से 20 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराने का निर्णय भी विद्यालयों की दशा और दिशा सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसलिए अब जहां भी काम हो अच्छा और पूरा काम हो ताकि स्कूल परिसर का वातावरण बेहतर शिक्षा का माहौल वाला बन सके। सरकार को भी साधुवाद देते हुए अब क्रियान्वयन पर खास ध्यान देना होगा ताकि तय समय में स्वीकृत कार्य हो सके।

**–अतिथि सम्पादक,**
**डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा**
**( वरिष्ठ लेखक )**

# अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस–यादों के झरोखों से

**राजेन्द्र भाणावत**

आज साक्षरता दिवस है। मुझे इस अवसर पर 1996 से 2000 का वह समय अनायास ही याद आ गया जब मैं राजस्थान के साक्षरता एवं सतत् शिक्षा विभाग का निदेशक और प्रभारी निदेशक शिक्षाकर्मी परियोजना की तरह कार्यरत था। लगभग सवा चार वर्ष तक मुझे राजस्थान के साक्षरता अभियान को संचालित करने का अवसर मिला। मेरे पूरे सेवाकाल का यह सबसे लंबा कार्यकाल था।

आज, साक्षरता की कहीं कोई चर्चा नहीं है। साक्षरता दिवस, प्रतिवर्ष 8 सितंबर को जिस धूमधाम से समारोह पूर्वक पूरे राज्य में मनाया जाता था, उसकी तो आज की पीढ़ी कल्पना भी नहीं कर सकती। यह लेख मैं इसी उद्देश्य से लिख रहा हूं कि आज की पीढ़ी को यह पता चले कि सरकार और समाज मिलकर किस प्रकार से किसी पवित्र उद्देश्य के लिए एक जुट होकर कार्य कर सकते हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना 1988 में हुई जिसमें राजस्थान के आई ए एस और शिक्षा विद अनिल बोर्दिया का महत्वपूर्ण योगदान था। मिशन की अवधारणा के अनुसार 15 से 35 वर्ष के सभी असाक्षर महिलाओं और पुरुषों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। साक्षर उसे कहा गया जो 5 से 7 शब्द प्रति मिनट लिख सके, 15-20 शब्द प्रति मिनट बोल सके तथा अपनी बदहाली के कारणों को जानकर उन्हें दूर करने में सक्षम हो।

साक्षरता अभियान में राज्य के लगभग 10 लाख व्यक्ति स्वैच्छिक शिक्षक (VT) के रूप में जुड़े। इनमें सभी सरकारी कर्मचारियों, विद्यालय, महाविद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों, सेवानिवृत कर्मचारियों, गृहणियों, धर्मगुरुओं, शैक्षिक संगठनों आदि ने अपनी सहभागिता निभाई। सबने मिलकर साक्षरता अभियान के माध्यम से राजस्थान के लगभग एक करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाने का बीड़ा उठाया था। इनके लिए पाठ्य सामग्री के रूप में विभिन्न क्षेत्रों की बोली पर आधारित प्रवेशिकाएं बनवाई गईं ताकि वयस्क पढ़ने-लिखने में रुचि ले सकें। तीसरी प्रवेशिका हिंदी में बनवाई गई। साक्षरता अभियान के पश्चात उत्तर साक्षरता अभियान चलाया गया एवं इसके बाद सतत शिक्षा कार्यक्रम चलना था।

राज्य का ऊपर से लेकर नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति साक्षरता के काम में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जुड़ा। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत अपने हर सार्वजनिक उद्बोधन में महिलाओं को शिक्षित करने की बात करते थे। जिला कलेक्टर, जिला साक्षरता समितियों के अध्यक्ष होते थे और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख होता था कि उन्होंने साक्षरता अभियान में कितना योगदान दिया है?

प्रत्येक माह जयपुर में निदेशक की अध्यक्षता में साक्षरता अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन होता था, जिसमें समीक्षा के साथ भविष्य की रूपरेखा बनाई जाती थी। मेरे कार्यकाल में 52 समीक्षा बैठकें हुईं। इस दौरान मैने राज्य के सभी जिलों के सैकड़ों गाँवों का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और साक्षरता कर्मियों और नवसाक्षरों को प्रेरित करने का कार्य किया।

8 सितंबर, 1997 को राज्य के विभिन्न जिलों की लगभग 3000 नवसाक्षर महिलाओं का एक बड़ा सम्मेलन जयपुर के चौगान स्टेडियम में आयोजित किया गया। महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनसे चर्चा करने के लिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता शबाना आजमी को बुलाया गया जो दिन भर उनके साथ रहीं।

यह जानकर पाठकों को आश्चर्य हो कि उस समय किसी साक्षरता स्वयंसेवक को कोई मानदेय नहीं दिया जाता था। जब कभी इसकी मांग होती तो उसका एक ही उत्तर दिया जाता था कि हमारे पास मानदेय देने का तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को 'मान' देने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। इनके लिए विशेष पहचान पत्र बनाए गए, जिनके आधार पर गांव के हर महत्वपूर्ण कार्य में इन्हें सम्मिलित किया जाता था। किसी अधिकारी से मिलने जाने पर उन्हें इस पहचान पत्र के आधार पर विशेष प्राथमिकता मिलती थी।

सीखने-सिखाने का काम भी किसी निश्चित समय पर नहीं होता था अपितु यह सीखने और सिखाने वालों की परस्पर सुविधा के अनुसार निर्धारित किया जाता था, विशेषकर उनकी सुविधा देखी जाती थी जिन्हें साक्षर किया जाना था न कि सरकारी कर्मचारियों की। साथ ही, इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षण का कार्य परस्पर सम्मान के आधार पर हो। इसके पीछे भावना यह थी कि यदि किसी के पास अंक और अक्षर का ज्ञान न हो तब भी उसके पास अनुभव और विवेक तो था ही।

साक्षरता की प्रक्रिया V T (volunteer teacher) और असाक्षरों के बीच आदान-प्रदान की होती थी। ताकि असाक्षर व्यक्तियों में हेय भावना उत्पन्न नहीं हुई और वे पूरे अभियान में बराबर के भागीदार बने रहे।

संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद उत्तर साक्षरता के अंतर्गत, नवसाक्षरों की रुचि और क्षमता के अनुसार विशेष प्रकार के साहित्य का सृजन किया गया, जिनमें चित्र के साथ ही अक्षर भी बड़े फ़ॉन्ट में थे। प्रत्येक दो-तीन हजार व्यक्तियों पर एक चर्चा मंडल की स्थापना का प्रावधान था, जहां बैठकर लोग अपने गांव की समस्याओं पर बात कर सकते थे। नवसाक्षरों के लिए कुछ पुस्तकें इन स्थानों पर रखी जाती थीं और कुछ खेल सामठी का भी प्रावधान किया गया। यहां नव साक्षर व्यक्तियों को अपनी नव अर्जित साक्षरता को मजबूत करने का अवसर मिलता था।

साक्षरता अभियान का तीसरा चरण सतत शिक्षा कार्यक्रम था। इसके अंतर्गत इन्हीं जन चेतना केंद्रों को अधिक सक्रिय और वृहद बनाना था। यहां पर गांव के लोग बैठकर चर्चा करके गांव के विकास की योजना बना सकते थे।

यह उल्लेखनीय है कि सभी के सामूहिक और सक्रिय प्रयासों के फल स्वरुप 1996 से 2000 तक प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत सरकार द्वारा राजस्थान के किसी न किसी जिले को 'सत्येन मैत्रे' पुरस्कार प्रदान किया गया। 8 सितंबर 2000 को राजस्थान को महिला साक्षरता के क्षेत्र में देश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन- यूनेस्को (NLM-UNESCO) पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसे ग्रहण करने का सौभाग्य मुझे मिला। राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत जो 1991 में 38.5 था, वह 2001 में बढ़कर 61प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि देश में सर्वाधिक थी।

दुर्भाग्य से इसके बाद सतत शिक्षा, प्राथमिकता में नहीं रही और यह कार्यक्रम भी मात्र औपचारिकता बन कर रह गया। गत कुछ सालों से तो इसका कोई नाम ही नहीं लेता है। विभाग भी लगभग बंद कर दिया गया है।

प्रत्येक जिले के साक्षरता अभियान का मूल्यांकन किसी प्रतिष्ठित शोध संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता था। राजस्थान के एक जिले का मूल्यांकन तो आईआईएम, अहमदाबाद द्वारा किया गया। मूल्यांकन के पहले मूल्यांकन कर्ताओं को मेरे द्वारा स्वयं निदेशालय में स्पष्ट कर दिया गया था कि उन्हें केवल वास्तविक स्थिति का आंकलन करना है न कि आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। इसका बहुत अच्छा असर क्षेत्र में हुआ और लोगों ने मूल्यांकन कर्ताओं को वास्तविक स्थिति जानने में सहायता की। ऐसा सामान्यतया नहीं होता है कि सरकारी विभाग के द्वारा बाह्य मूल्यांकन कर्ता को यह छूट दी जाए कि वह अपने स्तर पर निष्पक्ष मूल्यांकन करें और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके पीछे भाव यह था यदि कहीं कोई कमी रह गई है तो उसे दूर करके कार्यक्रम को ठीक किया जाए।

प्रत्येक स्तर पर अच्छे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अक्षर- मित्र पुरस्कार प्रारंभ किए गए। प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को बिरला ऑडिटोरियम में जयपुर में राज्य के श्रेष्ठ साक्षरता कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता था, जिनमें अनिवार्यत: 50 प्रतिशत महिलाएं होती थीं। ये पुरस्कार राज्यपाल या मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जाते थे। इसी प्रकार के सम्मान समारोह प्रत्येक जिले में भी 8 सितंबर को आयोजित किए जाते थे।

अब, जब साक्षरता अभियान का कोई नाम लेवा नहीं बचा और प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बदतर होती जा रही है तो यह देखकर बहुत पीड़ा होती है। जिस राज्य में विभिन्न वर्गों के लोगों ने सक्रिय रूप से, मन से लोगों को साक्षर बनाने का काम किया हो, वहां इस प्रकार की दुर्गति देखकर क्षोभ और दुख होना स्वाभाविक है।

अपेक्षा थी कि सतत् शिक्षा कार्यक्रम के चरण में नवसाक्षरों को डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता कानूनी साक्षरता, चुनावी साक्षरता प्रदान की जाएगी। यदि वास्तव में ऐसा हो जाता तो देश के लिए शिक्षा विभाजनकारी नहीं बनती और देश के सभी लोग डिजिटल क्रांति का लाभ ले पाते। अतीत में जीना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, किंतु आज यह लेख लिखने के लिए मैं इसलिए बाध्य हुआ हूं कि राजस्थान के गौरवशाली साक्षरता अभियान के कुछ पहलुओं से पाठकों को परिचित कराया जा सके। यह खेद का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोक जुंबिश, शिक्षाकर्मी जैसे अनेक नवाचारी प्रयोग करने वाला प्रदेश शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दे रहा है।

जिस प्रकार से साक्षरता अभियान और प्रारंभिक शिक्षा को कई वर्षों से राज्य और भारत सरकार ने हाशिये पर डाल दिया है, मुझे तो आशंका है है कि अगली जनगणना में राज्य का साक्षरता प्रतिशत कहीं कम न हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वह यहां के नागरिकों के लिए कार्यात्मक साक्षरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।साथ ही, प्रारंभिक शिक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समाज की भागीदारी से बेहतर बनाए।

**–राजेन्द्र भाणावत,**
**( पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी )**

# समरसता या षडयंत्र? शिवाजी के तिलक से श्मशान तक की सच्चाई

**मदन सिंह काला**

आज हर गली-चौराहे पर समरसता का नारा सुनाया जा रहा है। सुनने में यह शब्द कितना मीठा लगता है। लेकिन सोचिए, जो लोग 3000 साल तक आपको पानी तक नहीं पीने देते थे, वे अचानक आपके साथ समरस क्यों होना चाहते हैं? क्या उनकी नीयत बदली है या मजबूरी है?

सच्चाई यह है कि सुसंस्कृत और हिन्दू संस्कृति के पोषक लोग समरसता की मीठी बातें करते हैं, लेकिन समानता की बात आते ही बिदक जाते हैं। क्यों?

–क्योंकि समरसता का उनका अर्थ है – स्टेटस-को बनाए रखना, जिसमें समानता की कोई गुंजाइश ही नहीं है।– सामाजिक स्तरीकरण में जो अनुपात है, वही बना रहे। तुम नीचे रहो, हम ऊपर रहें, बस झगड़ा मत करो। तुम जूते सिलते रहो, हम जूते पहनते रहें, तुम मैला ढोते रहो, हम मंदिर में पुजारी बने रहें, बस मिल-जुलकर रहो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, वैदिक काल सभी में जाति पदानुक्रम था। महिलाओं और शूद्रों को दबाने के लिए नियमों को और कठोर बनाया गया, जो मनुस्मृति के क्रूर कानून के अनुसार अपने उच्चतम दमनकारी स्तर पर पहुंच गया और समरसता को सख्ती से बनाए रखा गया।

–जबकि संविधान की समानता कहती है -- तुम भी पढ़ोगे, तुम भी कलेक्टर बनोगे, तुम भी मंदिर के पुजारी बनोगे, तुम भी देश के प्रधानमंत्री बनोगे।

यही फर्क है। समरसता में आपकी जगह वही पुरानी है, समानता में आपकी जगह बदलती है। और इसीलिए इन लोगों को बाबा साहब डॉ. आंबेडकर का संविधान सबसे ज्यादा खटकता है।

–पहला प्रभाव – इतिहास गवाह है, हम शासक थे, गुलाम नहीं–

आपको पढ़ाया गया कि शूद्र-अतिशूद्र हमेशा पैर में रहे। यह सबसे बड़ा झूठ है।

और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज का है। जिन्हें हिंदवी स्वराज का निर्माता कहा जाता है, उसी शिवाजी महाराज को भी इस व्यवस्था ने शूद्र ही माना। जब शिवाजी महाराज ने 1674 में रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करना चाहा, तो स्थानीय ब्राह्मणों ने राजतिलक करने से मना कर दिया। कहा- तुम शूद्र हो, तुम्हें राजतिलक का अधिकार नहीं है। तब महाराज को काशी से गागा भट्ट पंडित को बुलाना पड़ा। जिस आदमी ने मुगलों से लड़कर हिंदवी स्वराज खड़ा किया, उसे भी इस जाति व्यवस्था ने अपमानित ही किया।

मतलब साफ है – जब-जब बहुजन को मौका मिला, उसने राज किया। जब-जब उसे जाति बताकर रोका गया, देश गुलाम हुआ।

–दूसरा प्रभाव – ग्रंथों ने कैसे बांटा और देश कैसे गुलाम हुआ?–

वैदिक काल में कहा गया – "चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः" – वर्ण गुण और कर्म से है।

फिर मनुस्मृति आई और उसने कहा – शूद्र का धर्म केवल तीन वर्णों की सेवा है। उसकी संपत्ति नहीं हो सकती, वह शिक्षा नहीं ले सकता।

फिर वही मानसिकता तुलसीदास जी के समय तक इतनी गहरी हो गई कि लिख दिया गया –

–पूजिय विप्र सील गुन हीना। सूद्र न गुन गन ग्यान प्रवीना।।–

–ढोल गँवार सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।।–

सोचिए, एक इंसान को ढोल और जानवर के साथ रखकर पीटने योग्य बताया गया। क्या यही धर्म है? यही तो वह जहर है जिसने भारत को 6000 जातियों में बांट दिया।

इस जहर ने तो इंसान को जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। गांव का कुआं तक जाति के नाम पर बांट दिया गया और श्मशान घाट तक जातिवार बना दिए गए, जो आज 2026 में भी बरकरार हैं। जिंदा इंसान की जात तो बनाई ही, मुर्दे की भी जात बना रखी है। इससे ज्यादा अमानवीय व्यवस्था दुनिया में और क्या होगी? क्या ऐसे लोग समरसता सिखाएंगे? – जाति ने देश को कितना गुलाम बनाया?– जब एक गांव के लोग एक साथ पानी नहीं पी सकते, श्मशान तक एक साथ नहीं जला सकते, तो वे विदेशी सेना से एक साथ कैसे लड़ेंगे? यही कारण है कि विदेशी आक्रांताओं के लिए भारत को जीतना आसान हो गया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक 320 साल, मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक 331 साल और ब्रिटिश शासन 1757 से 1947 तक 190 साल – जोड़ने पर 741 साल का लंबा विदेशी शासन बनता है, जिसे लोग 1000 साल की गुलामी कहते हैं। लेकिन सच्चाई यह भी है कि कोई भी विदेशी पूरे भारत पर एक साथ राज नहीं कर सका। जब दिल्ली में सुल्तान था, तब दक्षिण में विजयनगर था, जब मुगल थे तब शिवाजी महाराज के मराठा 70 प्रतिशत भारत पर थे, और अंग्रेजों का अखिल भारतीय नियंत्रण तो केवल 1820 के बाद यानी 127 साल ही रहा। फिर भी, जो 323 साल का प्रभावी विदेशी राज रहा, उसका मूल कारण हमारी भीतरी फूट और जन्म-आधारित जाति व्यवस्था ही थी।

–तीसरा प्रभाव – मुगल क्यों टिके और अंग्रेजों से क्यों तकलीफ हुई?–

मुगल समझदार थे। उन्होंने कहा – हमें लगान दो, तुम अपनी जाति व्यवस्था चलाते रहो। इसलिए 300 साल तक वे टिके रहे और उच्च वर्ण के लोग उनके दरबार में टोडरमल, बीरबल, मानसिंह बनकर मंत्री बने रहे।

लेकिन अंग्रेज अपने साथ लॉर्ड मैकॉले और थॉमस मुनरो का विचार लाए। उन्होंने कानून बनाया – सब समान हैं।

– 1829 में सती प्रथा बंद

– 1843 में गुलामी प्रथा बंद – जिसमें शूद्रों को पशुओं की तरह बेचा जाता था

– 1856 में विधवा पुनर्विवाह

– 1813 और 1854 के शिक्षा कानूनों से पहली बार शूद्र-अतिशूद्र के बच्चे भी स्कूल में बैठने लगे।

इसी से महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. आंबेडकर पैदा हुए। 1927 में आंबेडकर ने महाड में तालाब का पानी पीकर मनुवाद को सीधी चुनौती दी। तभी से मनुवादी व्यवस्था तिलमिला उठी।

–चौथा प्रभाव – आजादी कैसे मिली और आज क्या हो रहा है?–

द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन कंगाल हो गया। उधर गांधी का 1942 आंदोलन, आजाद हिंद फौज और 1946 का नौसेना विद्रोह जन-आंदोलन बन गया। एटली सरकार को सत्ता भारतीय नेतृत्व को सौंपनी पड़ी।

1947 में पंडित नेहरू को जो देश मिला, वह भूखा-नंगा था। 34 करोड़ लोग, सुई तक नहीं बनती थी। नेहरू ने घ्ऊ, घ्ऐंघ् भाखड़ा नांगल, ँघ्ऐं, ऐंघ्ष्ठ बनाकर देश को अपने पैरों पर खड़ा किया।

आज फिर वही टूटी-फूटी हालत बनाई जा रही है। खुद से पूछिए –

–रुपये का अवमूल्यन क्यों?– 1947 में 1 डॉलर 3.30 रुपये का था, 2014 में 58 रुपये का था, और आज 2026 में यह 97 रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को छूकर अब भी 94.41 रुपये पर है। आपकी जेब क्यों कट गई?

– आपके मोबाइल से लेकर दीपावली की झालर तक 75 प्रतिशत माल चीन से क्यों आ रहा है? 10 प्रतिशत अन्य देशों से? भारत में सिर्फ 15 प्रतिशते क्यों बन रहा है?

–ँघ्ऐं, ऐंघ्ष्ठ रेल, ध्घ्ण जिसे आपके बाप-दादा ने बनाया, वह क्यों बेचा जा रहा है?

– ण्श्ऽ्कंह रहा है – 45 प्रतिशत युवा बेरोजगार है। क्यों?

क्योंकि विकास के नाम पर सिर्फ जुमले हैं – 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, बुलेट ट्रेन। जमीन पर कुछ नहीं।

और याद कीजिए, जिस र्ैंउ विनोद राय की 1.76 लाख करोड़ की कल्पनात्मक रिपोर्ट पर डॉ. मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री को चोर कहा गया, उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने 2उ और कोयला मामलों में पूरी तरह फर्जी बताकर फेंक दिया। सभी आरोपी बरी – खोदा पहाड़, निकली चुहिया।

–अंतिम सत्य – धर्म ग्रंथों से नहीं, संविधान से देश चलेगा–

यह समझना जरूरी है कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस हों, या मनुस्मृति, या कुरान, बाइबिल, गुरुग्रंथ साहिब – ये सभी अपने-अपने समय के महाकाव्य, स्मृति-ग्रंथ और धर्म-ग्रंथ हैं। वे हमारे साहित्य, भक्ति और संस्कृति के महान ग्रंथ हैं। इन्हें मन बहलाने और मानवीय पहलुओं – करुणा, प्रेम, त्याग – को समझने के साधन के रूप में पढ़िए, जरूर पढ़िए।

लेकिन 21वीं सदी का भारत इनमें से किसी भी प्राचीन धर्म ग्रंथ से नहीं चलेगा।

भारत चलेगा तो सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और बाबा साहब के संविधान से। संविधान की प्रस्तावना में लिखा ूप झदज्त हम भारत के लोग – यही हमारा नया मंत्र है। संविधान ही हमारा जीवंत ग्रंथ है, वही हमें बराबरी दिला सकता है। बाकी सभी ठांथ अध्ययन के साधन हैं, शासन के साधन नहीं।

इसलिए अब समय की मांग संविधान प्रदत्त समानता की स्थापना के लिए काम करना है। हमें समरसता की बातों से समानता नहीं मिलने वाली है।

**–मदन सिंह काला, पूर्व आई.ए.एस अधिकारी**

## राशिफल गुरूवार 10 सितम्बर, 2026

**पंडित अनिल शर्मा**

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, चतुरदशी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2083, मघा नक्षत्र दिन 2:05 तक, सिद्ध योग 9:18 तक, शकुनि करण दिन 10:34 तक, चन्द्रमा आज सिंह राशि में संचार करेगा।

**ग्रह स्थिति:** सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-सिंह, मंगल-मिथुन, बुध-कन्या, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज पितृकार्य अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, जैन वृषभोत्सव, मन्वादि, कुशाग्रहणी अमावस्या है।

**श्रेष्ठ चौघड़िया:** शुभ सूर्योदय से 7:46 तक, चर 10:51 से 12:24 तक, लाभ-अमृत 12:24 से 3:29 तक, शुभ 5:02 से सूर्यास्त तक।

**राहुकाल:** 1:30 से 3:00 तक, सूर्योदय 6:14, सूर्यास्त 6:34

**मेष**

व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ अभी बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति यथावत बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

**सिंह**
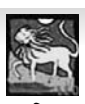
मानसिक तनाव मन:स्थिति में सुधार होगा। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**धनु**
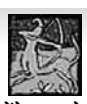
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**वृष**

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आज व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**कन्या**

घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज धन हानि हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

**मकर**

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

**मिथुन**

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

**तुला**

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

**कुंभ**

परिवार में शुभ-धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

**कर्क**

घर-परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा संभव है। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

**वृश्चिक**